संख्या- 88/2015/928/41-2015-96 यो0/2014

प्रेषक,

अमृत अभिजात
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2015

विषय- आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अधिष्ठान सम्बन्धी मदों, चालू कार्यक्रमों में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 121797.5 लाख (रूपये बारह करोड सत्रह लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीक़ति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. उक्त स्वीक़त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा और जहां भी आवश्यक हो तो व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि की प्रत्यासा में कोई अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
4. उकत् धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर न किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत लेखाशीर्षक एवं प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या-88/2015/928 (1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल) अडिट, उत्तर प्रदेश सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।

2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in